सं. 4-4/2015-बीपी-2(एससी/एसटी/ओबीसी होस्टल)
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 16 सितम्बर, 2015

सेवा में,

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
भारतीय खाद्य निगम,
16-20 बाराखम्बा लेन,
नई दिल्ली- 110001

विषय: अक्टूबर, 2015 से मार्च, 2016 तक अर्थात् वर्ष 2015-16 की द्वितीय छमाही हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग छात्रावास स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, कर्नाटक, तेलंगना और त्रिपुरा को खाद्यान्नों का आवंटन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के समसंखयक आवंटन आदेश के अनुक्रम में मुझे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिं अन्य पिछडा वर्ग छात्रावास स्कीम के अंतर्गत 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अक्टूबर, 2015 से मार्च, 2016 तक अर्थात् वर्ष 2015-16 की द्वितीय छमाही के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के मूल्यों पर चावल और गेहूं की निम्नलिखित मात्रा के मासिक आवंटन हेतु सरकार का अनुमोदन संप्रेषित करने का निदेश हुआ है:-

(टन में)

क्रम. संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	चावल (प्रति माह)	गेहूं (प्रति माह)
1	आंध्र प्रदेश	4801.925	-
2	तेलंगना	3431.825	-
3	छत्तीसगढ़	1436.266	20.559
4	दादरा एवं नगर हवेली	9.583	7.083
5	कर्नाटक	2358.583	1179.330
6	त्रिपुरा	309.850	-

2. भारतीय खाद्य निगम यह सुनिश्चित करेंगा कि चावल/गेहूं की उक्त मात्रा उनके नजदीकी डिपो से बीपीएल दर पर पूर्व-भुगतान के आधार पर उनके द्वारा किए जाने वाले जिलेवार उप आवंटन के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि/नामित व्यक्ति को जारी की जाती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस विभाग को सूचना देते हुए इस संबंध में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को समुचित निर्देश जारी किए जाएं और उनके नजदीकी डिपो से खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

3. इस योजना के उचित कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की होगी।

4. अक्टूबर, 2015 के लिए आवंटित खाद्यान्न की लागत जमा करने और उठाने के लिए वैधता अवधि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 50 दिनों तक होगी और नवम्बर, 2015 से मार्च, 2016 तक अर्थात् शेष महीनों के लिए लागत जमा करने और उसके आवंटित खाद्यान्न उठाने की वैधता अवधि क्रमश: प्रत्येक आवंटन माह की 15 और 20 तारीख होगी।

भवदीय,

असित

(असित हलदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23382504

प्रतिलिपि:

1. सचिव, खाद्य, नागारिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, कर्नाटक, तेलंगना और त्रिपुरा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।
2. निदेशक(एनएफएसए)/ निदेशक(पीडी)/उप सचिव(एफसी लेखा)/निदेशक(संचालन)/अवर सचिव(बीपी-3)।